संख्या-5/2023/1229/चौंतीस-लो0शि0-05/2023/5 लो०शि० 2019 टी०सी०

प्रेषक,

प्रथमेश कुमार,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन|

सेवा में,

1- **पुलिस महानिदेशक,**
उ0प्र0।

2- **समस्त मण्डलायुक्त,**
उ0प्र0।

लोक शिकायत अनुभाग-5, मुख्यमंत्री कार्यालय **लखनऊ, दिनांकः 29 दिसम्बर, 2023**

विषयः-जनसुनवाई समाधान (IGRS) पोर्टल के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि मा0 मुख्यमंत्री जी को सम्बोधित आमजन से प्राप्त पत्रों को पूर्व में लोक शिकायत अनुभाग-1 द्वारा पत्र के माध्यम से पुलिस महानिदेशक/मण्डलायुक्त को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जा रहा था| दिनांक 01 नवम्बर, 2023 से इन पत्रों को नये माड्यूल के माध्यम से प्रेषित किया जा रहा है|

2- इस सम्बन्ध में सम्यक विचारोपरान्त निर्णय लिया गया है कि लोक शिकायत अनुभाग-1, मुख्यमंत्री कार्यालय में जन सामान्य से प्राप्त पत्रों को IGRS प्रणाली पर विकसित माड्यूल (साधारण डाक) पर दिनांक 01 नवम्बर, 2023 से प्रेषित किये जा रहे सन्दर्भों को अधिकारियों द्वारा आवश्यकतानुसार अधीनस्थ अधिकारियों को निस्तारण हेतु अग्रसारित किया जायेगा। इस सम्बन्ध में आवश्यक व्यवस्था IGRS प्रणाली में कर दी गई है| इस प्रकार के पत्रों को IGRS पर वर्तमान में की जा रही मूल्यांकन/मार्किंग व्यवस्था से पृथक रखा जाएगा|

3. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उक्त निर्णयो का अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(प्रथमेश कुमार)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या-5/2023/1229 /चौंतीस/लो०शि०-5/2023 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव/विशेष कार्याधिकारी मुख्यमंत्री, उ०प्र० शासन।
2. प्रमुख स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन।
3. मुख्यमंत्री कार्यालय के समस्त संयुक्त सचिव/उपसचिव/अनुसचिव।
4. मुख्यमंत्री कार्यालय के समस्त अनुभाग।
5. प्रभारी NIC सेल/कंप्यूटर सेल, मुख्यमंत्री कार्यालय।
6. मुख्यमंत्री कमांड एवं कण्ट्रोल सेंटर में सम्बद्ध अधिकारीगण।
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अरविन्द मोहन)
उपसचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।